



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1669 वर्ष 2026

सलीम @सलीम

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: मो० जाबिर, निखिल दीक्षित
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -28

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक द्वारा पुलिस थाना- जैदपुर, जिला- बाराबंकी में यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत दर्ज वाद अपराध संख्या 0278/2025 में, जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध तीन मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें वह जमानत पर है। जमानत आदेश, जमानत याचिका के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक-4,5 और 6 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध हैं। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, आवेदक का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसकी समुचित व्याख्या जमानत याचिका के पैरा 5 में की गई है। जमानत आदेशों कि प्रति जमानत याचिका के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुलग्नक संख्या 2 साथ ही पूरक शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या एस.ए.-1, एस.ए.-2, एस.ए.-3 के रूप में संलग्न है। आवेदक दिनांक 31.08.2025 से जेल में निरुद्ध है।

4. यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की अपेक्षाओं के अनुरूप एक वचनबंध प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत, कि आवेदक दिनांक 31.08.2025 से जेल में निरुद्ध है, गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकृत** की जाती है।

8. आवेदक- सलीम@सलीम, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक निजी मुचलका और दो जमानतदार न्यायहित में आरोपित निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक परीक्षण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से पीछे हट जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iv) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि वह साक्ष्यों के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि आवेदक इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(v) आवेदक, यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकताओं के अनुसार एक और लिखित वचन देगा कि वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष तय की गई प्रत्येक तिथि पर, या तो स्वयं उपस्थित रहेगा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा। यदि वह बिना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

(vii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक उस उद्घोषणा में तय की गई तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत, कानून के अनुसार, उसके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल इस जमानत आवेदन तक सीमित हैं और परीक्षण के गुण-दोष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26 मार्च, 2026

आनंद

(न्यायाधीश श्री राजीव भारती)